सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक

(प्रवर्तक: **पंजाब नैशनल बैंक**)

प्रधान कार्यालय: सी-39/5,जागृति विहार, मेरठ

e-mail: hrd@upgb.com website: www.upgb.com

अधिकारी एवं लिपिक सह रोकड़िया पद हेतु भर्ती

सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक (पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित) अधिकारी Scale – I एवं लिपिक सह रोकड़िया/कार्यालय सहायक संवर्गो में नियुक्ति हेतु निम्नलिखित पदो के लिये भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

आवेदन पत्र प्राप्ति का अंतिम दिनांक : 20.03.2010

लिखित परीक्षा का दिनांक : –

क्रमांक	पद कूट संख्या	पद	लिखित परीक्षा की तिथि
1	01	अधिकारी Scale – I	16.05.2010
2	02	लिपिक सह रोकड़िया/कार्यालय सहायक	23.05.2010

01. रिक्तियॉं :–

क्रमांक	पदनाम	कूट संख्या	रिक्तियॉं				योग	योग में से	
			अजा	अजजा	अपिव	सामान्य		विकलांग	भूतपूर्व सैनिक
1	अधिकारी स्केल – I	**01**	08	04	15	32	59	01	-
2	लिपिक सह रोकड़िया/ कार्यालय सहायक	**02**	31	02	38	75	146	04	-

<u>संक्षेपण</u> : अजा : अनुसूचित जाति अजजा : अनुसूचित जनजाति
अपिव : अन्य पिछड़ा वर्ग

नोट : विकलांग की श्रेणी में अस्थि विकलांग (ऑर्थोपेडिकली चैलेन्ज्ड), दृष्टिक्षीणता एवं श्रवण क्षीणता सम्मिलित है।

<u>टिप्पणी</u> :

(1) रिक्तियों की संख्या तथा आरक्षित रिक्तियों की संख्या अनुमानित है एवं बैंक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनीय है।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि विकलांग अभ्यार्थियों को बैंक के सभी कार्यालयों/शाखाओं में पदस्थ किया जा सकना मुमकिन नहीं भी हो सकता है, अतः बैंक द्वारा उनके लिए उपयुक्त तौर पर चयनित कार्यालय/पदों पर पदस्थापित किया जाएगा ।

(3) चूंकि विकलांग अभ्यार्थियों को आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आधार पर उपलब्ध है । अतः चयनित अभ्यर्थियों को समुचित श्रेणी में जिससे वे संबंधित है, यथा अजा., अजजा. अपिव. सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा।

02. वेतनमान एवं परिलब्धियॉं :

अधिकारी हेतु (पद कोड 01) :

रू.10000–470/6 – 12820–500/3 – 14320–560/7 – 18240

लिपिकीय संवर्ग हेतु (पद कोड 02) :

रू.4410–215/3–5055–335/3 –6060–470/4 – 7940–500/3 –9440–560/4–11680–970/1–12650–560/1–13210.

टिप्पणी :

अन्य भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूरक भत्ते, चिकित्सा भत्ता/अवकाश यात्रा रियायत एवं अन्य परिलब्धियॉ बैंक के नियमानुसार देय होगी।

वर्तमान मंहगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता दर के आधार पर प्रारंभिक कुल परिलब्धियॉ लगभग (मासिक वेतन) निम्नानुसार होगी :–

अधिकारी हेतु (पद कोड 01) : रू. 16,950/–

लिपिकीय संवर्ग हेतु (पद कोड 02) : रू. 7,475/–

03. पात्रता मानदण्ड :–

अधिकारी हेतु (पद कोड 01)

अ) उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना आवश्यक है । उत्तर प्रदेश निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी ।

लिपिकीय संवर्ग हेतु (पद कोड 02)

अ) उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना आवश्यक है ।

ब) उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का निवासी (Domicile) होना अनिवार्य है ।

04. आयु सीमा : (दिनांक 01.01.2010 को)

अधिकारी संवर्ग हेतु : न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 26 वर्ष

लिपिकीय संवर्ग हेतु : न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 26 वर्ष

ऊपरी आयु सीमा में छूट :–

संख्या	श्रेणी	आयु में छूट
1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार	5 वर्ष
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार	3 वर्ष
3.	ईसीओ/एसएससीओ सहित भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशंड अधिकारी, जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की सैन्य सेवा की हो एवं नियत कार्य की पूर्णता के कारण सेवामुक्त हुए हों (इसमें वे भी शामिल हैं जिनका नियत कार्य, आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक से अगले एक वर्ष के अंदर पूर्ण होने वाला हो) किन्तु जिन्हें दुराचार एवं अकुशलता अथवा सैन्य सेवा हेतु उपयोगी न होने की शारीरिक अक्षमता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त कर दिया गया हो या निलंबित किया गया हो, वे पात्र नहीं होंगे।	अधिकारी संवर्ग हेतु – 5 वर्ष लिपिकीय संवर्ग हेतु वास्तविक सैन्य सेवाकाल के अतिरिक्त अधिकतम 3 वर्ष किन्तु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष तक अनुमत होगी।
4.	ऐसे व्यक्ति जो 01–01–1980 से 31–12–1989 तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य के प्रभाग में निवासरत रहे हों।	5 वर्ष
5.	केवल लिपिक सह रोकड़िया पद हेतु :– विधवा, तलाकशुदा महिला एवं विधिक रूप से पति से पृथक महिला, जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो (किन्तु सामान्य श्रेणी की ऐसी महिला की आयु 35 वर्ष एवं अनुजाति/अजजा श्रेणी की ऐसी महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक न हो	9 वर्ष
6.	विकलांग श्रेणी के उम्मीदवार	10 वर्ष

नोट :

1) भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ऊपरी आयु सीमा में छूट संचयी आधार पर है।
2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने सिविल साईड पर शासकीय सेवा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं, मे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का लाभ एक बार उठाते हुए पुनः रोजगार प्राप्त कर लिया हो, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का लाभ अन्य रोजगार हेतु दुबारा प्राप्त नहीं कर सकते है।
3) उपर्लिखित बिन्दु क. 4 (4) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट हेतु पात्र उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय कश्मीर प्रभाग के ऐसे जिलाधीश अथवा जम्मू एवं कश्मीर राज्य शासन द्वारा इस हेतु निर्दिष्ट अन्य अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके क्षेत्राधिकार अंतर्गत उक्त उम्मीदवार दिनांक 01–01–1980 से 31–12–1989 के मध्य सामान्य रूप में निवास करता रहा है।
4) उपरोक्त छूट उम्मीदवार को तभी उपलब्ध होगी जब वह इस संबंध के भारत सरकार के आदेशों एवं निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों की पूर्ति करता हो। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट का दावा करने हेतु सम्बन्धित Caste//discharge/ retirement/ domicile/death/divorce के प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करनी होगी।

परिभाषा :–

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति :– विकलांगता/अक्षमता के वर्गो की परिभाषा :

(अ) अस्थि विकलांग (ऑर्थोपेडिकली चैलेन्ज्ड) वह व्यक्ति है, जो लोकोमोटर अक्षमता या सेरेब्रल पल्सी से पीड़ित है। केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कम से कम 40% की ऐसी विकलांगता वाला व्यक्ति ही सेवाओं/पदों में आरक्षण का पात्र होगा।

(ब) लोकोमोटर अक्षमता :– लोकोमोटर अक्षमता का तात्पर्य है कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी अयोग्यता जिसके कारण हाथ पैर को हिलाने–डुलाने में अत्यधिक कठिनाई हो या किसी भी प्रकार की सेरेब्रल पल्सी हो।

(स) सेरेब्रल पल्सी :– प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से तात्पर्य है कि प्रसव पूर्व या प्रसव के दौरान या विकास की शैशवावस्था में मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने या चोट लगने से चलने–फिरने में असामान्य नियंत्रण वाले व्यक्ति को गैर वृद्धिशील स्थिति का समुच्य।

(द) श्रवण क्षीणता (बाधिर) :– बाधिर वे व्यक्ति हैं, जिनमें जीवन के सामान्य उद्येश्यों हेतु श्रवण शक्ति कार्य नहीं करती है अर्थात् दोनों कानों में श्रवण शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई हो, वे न तो सुन सकते और न ही एम्प्लीफाईड संभाषण की आवाज भी समझने में सक्षम है, श्रवण क्षीणता का तात्त्पर्य है कि वह कान जो बेहतर है, उसमें वार्तालाप की फ्रिक्वेन्सी की रेंज (कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रिक्वेसीस) में साठ डेसिबल या अधिक मात्रा में हानि हो चुकी है।

(इ) दृष्टि क्षणिता (दृष्टिबाधित/दृष्टिहीनता) :– दृष्टिबाधित वह व्यक्ति है जो कि अंधत्व या अल्प दृष्टि से पीड़ित है।

अंधत्व – अंधत्व वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति इनमें से किसी भी एक स्थिति से पीड़ित है :–

(i) दृष्टि का पूर्ण अभाव
(ii) उपधारी (करेक्टिंग) लेंस के साथ बेहतर ऑख में दृष्टि 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से अधिक न होना।
(iii) दृष्टि के दायरे की सीमा 20 डिग्री कोण उससे कम है।

अल्प दृष्टि– अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी दृष्टि में उपचार या स्टेन्डर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन के उपरांत भी दोष है लेकिन उचित सहायक यंत्र के उपयोग के साथ किसी कार्य की योजना का कार्यपूर्णता के लिए दृष्टि का उपयोग करने की संभावना पूर्ण क्षमता है।

दृष्टिक्षीणता से ग्रसित उम्मीदवार एवं ऐसे उम्मीदवार जिनके लिखने की गति सेरेब्रल पल्सी के कारण प्रभावित हुई है, वे अपने स्वयं के खर्चे पर लिखित परीक्षा के दौरान स्क्राइब (लेखक) की सेवा ले सकते है। ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें लेखक का उपयोग किया जाता है, उनमें निम्नलिखित नियम लागू होंगे :–

उम्मीदवार स्वयं अपने स्तर से लेखक (scribe) की व्यवस्था करेंगे–

(i) उम्मीदवार को अपने स्वयं के खर्चे पर अपने स्वयं के लेखक की व्यवस्था करनी होगी।

(ii) लेखक की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित पात्रता मानदण्ड से एक श्रेणी कम होनी चाहिए।

(iii) पद कूट संख्या 01 एवं 02 के लिए लेखक किसी भी शैक्षणिक अनुशासन (एकेडमिक डिसीप्लीन) का हो सकता है । लेखक की स्वयं की शैक्षिणिक स्ट्रीम में उस के प्राप्तांक उम्मीदवार से कम होने चाहिए तथा उसके स्वयं के शैक्षणिक स्ट्रीम में उसके प्राप्तांक 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

(iv) उम्मीदवार एवं लेखक दोनों को पुष्टि करते हुए यह बचन पत्र देना होगा कि लेखक हेतु उपर्लिखित समस्त पात्रता मानदण्डों की पूर्ति लेखक करता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में यह तथ्य उजागर होता है कि लेखक निर्धारित पात्रता मानदण्डों में किसी एक की भी पूर्ति नहीं करता है या महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए जाते हैं, तो लिखित परीक्षा का परिणाम चाहे जो भी रहे, उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(v) लेखक का उपयोग करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

05. शैक्षणिक योग्यताएँ (01–01–2010 की स्थिति में)

पद कूट संख्या 01 :

(1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष

(2) स्थानीय भाषा यथा हिन्दी में दक्षता आवश्यक है, किन्तु उम्मीदवार को अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान एवं नियंत्रण होना आवश्यक है।

(3) कंप्यूटर में MS DOS, MS Word, MS Excel, Networking etc. का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) उच्च शैक्षिक योग्यता जैसे Engineering/Business Administration/ Law/ Agriculture/Veterinary Science/ M.Sc. Computer Science/ M.CS. Charted Accountant/ Horticulture/Marketing etc. रखने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार में प्राथमिकता दी जाएगी।

पद कूट संख्या 02 :

1. (अ) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष अथवा

(ब) 10+2+3 पद्यति की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 11+3 पद्यति की 11वीं कक्षा या इन्टरमीडिएट या कोई समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों (अनुजा/अजजा के उम्मीदवार हेतु 45%) के साथ उत्तीर्ण

(स) केन्द्र/राज्य शासन या संघ शासित प्रदेश से मान्यता प्राप्त बैंकिंग का डिप्लोमा अथवा

(द) मैट्रिकुलेशन या सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट (पुरानी पद्यति) या समकक्ष में न्यूनतम 60% अंकों (अनुजा/अजजा के उम्मीदवार हेतु 55%) से उत्तीर्ण।

2. स्थानीय भाषा यथा हिन्दी में दक्षता आवश्यक है तथा अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

3. कम्प्यूटर में MS DOS, MS Word, MS Excel, Networking etc. का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार में प्राथमिकता दी जाएगी।

06. डाक व्यय सहित प्रत्येक पद हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)

क्रम संख्या	संवर्ग	डाक व्यय	आवेदन शुल्क	कुल
1.	अजा/अजजा/विकलांग/भतपूर्व सैनिक	रू. 50/–	–	रू. 50/–
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य	रू. 50/–	रू.300/–	रू. 350/–

टिप्पणी **:**

1) डाक व्यय सहित आवेदन शुल्क का भुगतान ''सर्व य.पी. ग्रामीण बैंक'' अथवा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी मेरठ में देय डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक निम्न नामों से देय होगा :–

''सर्व य.पी. ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेन्ट एकाउन्ट – ऑफीसर्स''

''सर्व य.पी. ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेन्ट एकाउन्ट – क्लेरिकल''

2) उम्मीदवारों को डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चेक के पृष्ठ भाग में अपना नाम, जन्म दिनांक, निवासीय पता एवं आवेदित पद का उल्लेख करना होगा।

3) आवेदन शुल्क एवं डाक व्यय हेतु नगद/चेक/मनीऑर्डर/आईपीओ आदि से किए गए भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4) एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक पद हेतु वांछित आवेदन शुल्क/डाक व्यय सहित पृथक–पृथक आवेदन देने होगे।

5) एक बार आवेदन किया होने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा एवं आवेदन शुल्क और डाक व्यय किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा और न ही भविष्य की किसी भी चयन प्रक्रिया हेतु सुरक्षित रखा जाएगा।

07 चयन प्रक्रिया **:**

पद कूट संख्या 01 एवं 02 के पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जिन पात्र उम्मीदवारों के प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र नियत अवधि में एवं वांछित शुल्क सहित प्राप्त हो जाएँगे, उन्हें लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में निम्न विषय सम्मिलित होगे :–

पद कूट संख्या 01 हेतु (अधिकारी स्केल–I) :–

क संख्या	वस्तुनिष्ठ परीक्षा	कुल प्रश्न संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
(1)	तर्क शक्ति परीक्षा (रीजनिंग)	50	50	120 मिनट
(2)	परिमाणात्मक अभिरूचि (क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड)	50	50	
(3)	सामान्य संचेतना (जनरल अवेयरनेस)	50	50	
	योग	150	150	
(4)	अंग्रेजी भाषा	50	50	30 मिनट

उपर्लिखित क्र. संख्या 01 से 03 तक के सभी प्रश्न पत्र द्विभाषी होगे अर्थात हिन्दी एवं अंग्रजी भाषा में होगें

पद कूट संख्या 02 हेतु (लिपिक संवर्ग) :–

क्र संख्या	वस्तुनिष्ठ परीक्षा	कुल प्रश्न संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
(1)	तर्क शक्ति परीक्षा (रीजनिंग एबिलिटी)	50	50	120 मिनट
(2)	अंक क्षमता (न्यूमेरिकल एबिलिटी)	50	50	
(3)	लिपिकीय अभिरूचि (क्लेरिकल एप्टीट्यूड)	50	50	
	योग	150	150	
(4)	अंग्रेजी भाषा अभिरूचि	50	50	30 मिनट

उपर्लिखित क्र. संख्या 01 से 03 तक के सभी प्रश्न पत्र द्विभाषी अर्थात हिन्दी व अग्रेजी भाषा में होगे।

टिप्पणी **:**

(क) उम्मीदवारों को प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक (अजा/अजजा के लिए 30%) अवश्य प्राप्त करने चाहिये।

(ख) लिखित परीक्षा के बाद मेरिट सूची तैयार करने के उद्देश्य से सभी पेपरों में प्राप्त कुल अंकों को पूर्णाक 60 अंक मानते हुये न्यूनीकृत (Minify) किये जायेंगे,

i) गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक होंगे । दिये गये प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जायेंगे ।

ii) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, तदनुसार उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। रिक्तियों की संख्या के आधार पर 1 : 4 (रिक्तियों की संख्या का चार गुना) के अनुपात में साक्षात्कार हेतु उन उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाएगा, जिनको प्रावीण्य सूची में उच्च रैंक हासिल हो। मात्र पात्रता रखने/लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने से किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। साक्षात्कार के लिये अधिकतम अंक 40 होंगे ओर उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% (अजा/अजजा के लिये 45 %) अंक साक्षात्कार में प्राप्त करने होंगे। अन्तिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर प्राप्त रैंकिंग के आधार पर किया जायेगा।

iii) लिखित परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी लिखित परीक्षा हेतु बुलावा पत्र के साथ प्रेषित की जाने वाली ''एक्वेन्ट योर सेल्फ'' नाम पुस्तिका में दी जाएगी।

08. लिखित परीक्षा**:**

(i) अधिकारी संवर्ग के पदों हेतु लिखित परीक्षा रविवार, दिनांक 16.05.2010 को आयोजित होगी।

(ii) लिपिकीय संवर्ग हेतु लिखित परीक्षा रविवार, दिनांक 23.05.2010 को आयोजित होगी।

(iii) परीक्षा की तिथियॉ सम्भावित एवं परिवर्तनीय है। प्रत्येक परीक्षा हेतु सही तिथि की सूचना उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु बुलावा पत्र के माध्यम से दी जाएगी। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर बैंक को यह अधिकार होगा कि वह परीक्षा तिथि को निरस्त अथवा परिवर्तित कर सके।

(iv) लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्र में होगी तथा परीक्षा स्थल का पता लिखित परीक्षा हेतु बुलावा पत्र में सूचित किया जाएगा :

केन्द्र कूट संख्या	केन्द्र का नाम
11	मेरठ
12	लखनऊ
13	झाँसी
14	बरेली

उम्मीदवारों के प्रत्युत्तर (रिस्पॉन्स), प्रशासनिक व्यवहार्यता इत्यादि के कारण बैंक का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी केन्द्र को या तो निरस्त कर दे /और / या नया केन्द्र जोड़ दे। बैंक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वह उम्मीदवार द्वारा चयनित केन्द्र के स्थान पर उसे अन्य कोई और केन्द्र आबंटित कर दे।

09. परिवीक्षा :

अधिकारी संवर्ग हेतु	2 वर्ष, इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम और एक वर्ष तक की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है ।
लिपिकीय संवर्ग हेतु	1 वर्ष, इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम और छः माह तक की अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है ।

10. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण : (पदकूट संख्या 01 एवं 02 हेतु)

अजा/अजजा/अल्प संख्यकों हेतु निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण लखनऊ/ मेरठ में प्रस्तावित है। बैंक के विवेकाधिकार पर प्रशिक्षण केन्द्र परिवर्तनीय रहेगा। जो पात्र उम्मीदवार परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे आवेदन पत्र में संबंधित कॉलम में तदाशय की जानकारी अवश्य भरें। संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यात्रा, रहने, खाने इत्यादि का व्यय उम्मीदवार को स्वयं वहन करना होगा।

11. आवेदन कैसे करें :

(अ) इस विज्ञापन के अंत में दिए गए आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा, जो कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पहुँच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ब) यदि उम्मीदवार पात्र हैं और एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे ऐसे प्रत्येक पद हेतु, जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है, पृथक–पृथक आवेदन शुल्क सहित अलग–अलग आवेदन करना होगा ।

(स) उम्मीदवार को आवेदन पत्र अपने स्वयं की लिखावट में बड़े साफ अक्षरों में (कैपिटल लेटर्स) में भरना होगा।

(द) आवेदन ए.4 साईज के कागज में (11.69" X 8.27") पूर्णतः निर्धारित प्रारूप के अनुरूप होना चाहिए तथा उसमें किसी भी प्रकार का सुधार/बदलाव/ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये।

(i) अजा/अजजा/विकलांग/भपूसै उम्मीदवारों के मामलों में जाति/जनजाति/सम्प्रदाय/विकलांगता/सैन्य सेवा प्रमाण पत्र

(ii) दसवीं कक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्म दिनांक उल्लिखित हो

(iii) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियॉ (जेराक्स कॉपी)

(ध) हर प्रकार से पूर्ण आवेदन को केवल साधारण डाक द्वारा निम्नांकित पोस्ट बॉक्स संख्या में भेजा जाय।

(उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रत्येक पद हेतु पृथक रूप से मात्र एक आवेदन एक लिफाफे में प्रेषित करें तथा लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम अवश्य उल्लेख करें)

अधिकारियों की भर्ती हेतु पोस्ट बॉक्स संख्या– 8451, मंडपेशवर, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई 400103

लिपिकों की भर्ती हेतु पोस्ट बॉक्स संख्या– 8469, मंडपेशवर, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई 400103

सामान्य शर्ते :

1. डाक द्वारा आवेदन पत्र संप्रेषण प्राप्त होने में विलम्ब होने या गुम हो जाने की दशा में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

2. चूंकि आवेदन पत्रों पर जॉच कार्यवाही कंप्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा की जाएगी। अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन पत्र पूर्णतः निर्धारित प्रारूप में तथा पूर्णतः और सही ढ़ंग से भरा हुआ होना चाहिए तथा इसमें किसी भी प्रकार का सुधार/परिवर्तन/अधिलेखन नहीं होना चाहिए।

3. आवेदन पत्र आवेदक की स्वयं की हस्तलिपि में एवं बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में भरा होना चाहिए तथा अंकों हेतु अंग्रेजी के अंकों का उपयोग किया जाना चाहिए।

4. किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व, उम्मीदवार को यह यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह विज्ञापन में संबंधित पद हेतु दिए गए पात्रता एवं अन्य मानदण्डों को पूर्ण करता है। यदि उम्मीदवार आवेदित पद हेतु अयोग्य पाया जाता है, तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन पत्र अस्वीकार करने हेतु बैंक स्वतंत्र होगा। पात्रता एवं अन्य मानदण्डों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

5. आवेदन शुल्क/उम्र के संबध में छूट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ अपने दावे संबंधी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी चाहिए तथा मूल प्रमाण पत्र या दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न न करें।

6. एक बार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने पर इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा एक बार भुगतान कर दिए जाने पर आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी तथा न ही इस फीस को भविष्य में होने वाले किसी चयन या परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

7. आवेदन पत्र किसी भी संदर्भ में अपूर्ण होने या जहॉ आवश्यक है, वहॉ संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न न होने या अपेक्षित फीस संलग्न न होने या निर्धारित प्रारूप में न होने अथवा उम्मीदवार के हस्ताक्षर नहीं होने पर, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. आवेदन प्रपत्र में उम्मीदवार का वर्तमान समय का पासपोर्ट आकार का एक फोटोग्राफ अच्छी तरह से चिपका होना चाहिए तथा उस पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होना चाहिए। इसी फोटोग्राफ की तीन प्रतियॉ लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के समय प्रयोग के लिए अपने पास सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

9. शासकीय या बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सेवारत उम्मीदवारों को उचित माध्यम के मार्फत (थ्रू प्रोपर चैनल) आवेदन करना होगा।

10. उपरोक्तानुसार उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय अपने नियोक्त द्वारा जारी ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। मूल डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/भुगतान आदेश/बैंकर्स चेक के साथ आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति उपरोक्त पते पर भेजी जा सकती है।

11. मात्र ऐसे ही उम्मीदवार आवेदन करें जो बैंक के कार्यक्षेत्र में कहीं भी सेवा करने के लिए इच्छुक हों।

12. उम्मीदवार की पात्रता, पात्रता संबंधी सभी मामलों की छानबीन, परीक्षा के आयोजन, साक्षात्कार, चयन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख तथा भर्ती संबंधी कोई अन्य मामले सहित सभी मामलों में बैंक का निर्णय, अंतिम होगा तथा उम्मीदवार पर बंधनकारी होगा। इस संबंध में बैंक किसी पत्राचार या वैयक्तिक पूछताछ को स्वीकार नहीं करेगा।

13. बैंक अपने विवेकानुसार आवश्यकता पड़ने पर किसी केन्द्र/स्थान या उम्मीदवार के संबंध में पुनः परीक्षा आयोजित कर सकता है।

14. किसी अनधिकृत व्यक्ति/संस्थान द्वारा जारी किसी विज्ञापन में उपलब्ध करायी गयी गलत सूचना के आधार पर कोई आवेदन पत्र नामंजूर होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

15. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों की केवल प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी ही उम्मीदवार भेजें।

16. पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

17. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए :-

(i) नीचे वर्णित प्रमाण पत्रों की प्रतियॉ :-

(क) माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र (सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र), विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज, जो आयु प्रमाणित करें।

(ख) वर्षवार अंकसूची, जिसमें विशेष रूप से अध्ययन किए गए विषयों का उल्लेख किया गया हो और शैक्षणिक योग्यता जैसे कि एसएसएलसी/एचएससी/स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, व्यावसायिक/अनुसंधान योग्यता आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र।

(ग) अजा/अजजा/अपिव/विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करने होगे।

(घ) भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से जारी अजा/अजजा/अपिव/विकलांग प्रमाण पत्र, अपिव के मामले में प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार की सेवा और सिविल सर्विसेज में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लाभ से अलग किए गए सम्पन्न वर्गो से संबंधित नहीं है। अपिव प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(ड.) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति/पेंशन आदेश तथा अंतिम/वर्तमान धारित रैंक (स्थाई और कार्यवाहक दोनों) के दस्तावेजी सबूत की प्रति संलग्न करनी होगी, जो अभी भी रक्षा सेवाओं में कार्यरत है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने पर उन्हें बैंक में सेवा करने के लिए यथावधि रक्षा सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

(च) मेरठ में देय बैंक डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंक भुगतान आदेश/बैंकर्स चेक।

(छ) मूल निवास का प्रमाण–पत्र।

(ज) जन्म तिथि प्रमाणित हेतु हाईस्कूल प्रमाण–पत्र/अंकतालिका ।

18. इस विज्ञापन के कारण उपजे किसी विवाद का निराकरण मेरठ में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होगा।

19 उम्मीदवार द्वारा पृथक से भेजे गए किसी प्रमाण पत्र/संप्रेषणों की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी।

20 परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर, टेलीफोन, सेलफोन, मोबाईल, पेजर या ऐसे ही किसी प्रकार का कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग करने की अनुमति उम्मीदवारों को नहीं होगी। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए आबंटित केन्द्रों पर अपने स्वयं के खर्चे और जोखिम पर उपस्थित होना पड़ेगा तथा बैंक किसी भी प्रकार की चोट/नुकसान आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(i) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे डाक में किसी भी संभावित देरी से बचने के लिए अंतिम तिथि के काफी पहले अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर दें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(ii) उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुरूप उनके शारीरिक रूप से स्वस्थ्य पाए जाने पर ही होगी।

अजा/अजजा/अपिव/विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्न हैं :–

(अ) अजा/अजजा/अपिव वर्ग हेतु जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/जिलाधीश/उप आयुक्त/अतिरिक्त उप आयुक्त/उप जिलाधीश प्रथम श्रेणी वृतिक दण्डाधिकारी/उप संभाग दण्डाधिकारी/तालुका दण्डाधिकारी/कार्यकारी दण्डाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/प्रमुख प्रेसीडेन्सी दण्डाधिकारी/अतिरिक्त प्रमुख प्रेसीडेन्सी दण्डाधिकारी/प्रेसीडेन्सी दण्डाधिकारी/उपक्षेत्र का राजस्व अधिकारी जो

कि तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी की श्रेणी से नीचे का न हो। जहॉ के उम्मीदवार और / उसका परिवार समान्य रूप से निवास करता हो।

(ब) विकलांगों हेतु शारिरीक विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडीकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले मेडीकल बोर्ड का गठन कर सकती है। जिसमें एक सदस्य चलने फिरने (लोकोमोटर्स /प्रमष्तिकीय (सेरेब्रल)/देखने (विजुअल) / सुनने (हिअरिंग)) की असक्षमता (जैसी भी स्थिति हो), निर्धारित करने के लिए संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा।

कदाचार का दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवार के विरूद्ध कार्यवाही :–

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय किसी महत्वपूर्ण जानकारी को न तो छुपाएॅ और ना ही कोई ऐसे विवरण दें जो कि मिथ्या हो। जिनमें हेराफेरी हो, जाली हो। लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के समय यदि किसी उम्मीदवार को निम्न लिखित मामलों में दोषी पाया जाता है :

(1) परीक्षा दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए या

(2) प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेटिंग) करता है या किसी व्यक्ति द्वारा कराता है या

(3) परीक्षा केन्द्र में दुर्व्यवहार करता है या परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र एवं/या उत्तर पुस्तिका (अथवा उसका कोई भाग) लेकर बाहर चला जाता है

(4) चयन में अपनी उम्मीदवारी को लेकर किसी भी प्रकार के अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या अनुचित साधनों से अपनी उम्मीदवारी हेतु समर्थन प्राप्त करता है

(5) ऐसे उम्मीदवार आपराधिक कार्रवाई होने के साथ ही साथ निम्न कार्यवाही के भी पात्र होगे :–

(क) उस परीक्षा से उसे अपात्र कर दिया जाये, जिसमें वह उम्मीदवार है।

(ख) सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से या भर्ती प्रक्रिया से उस पर स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए रोक लगा दी जाये।

(ग) यदि वह बैंक में नियुक्त हो चुका है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

बैंक उम्मीदवार के प्रति उत्तरों का अन्य उम्मीदवारों के उत्तरों से समानता का पैटर्न पता लगाने के लिए विश्लेषण करेगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत यदि यह संदेह पैदा होता है कि आपस में नकल हुई है और प्राप्त अंक सही/वैध नहीं हैं, तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दे।

आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि :

समस्त संदर्भो में पूर्ण आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2010 को या उसके पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए, अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. लिखित परीक्षा हेतु बुलावा पत्र :

प्रत्येक पात्र उम्मीदवार को उसके आवेदन पत्र में दिए गए पते पर बुलावा पत्र डाक द्वारा भेजा जाएगा। अधिकारी संवर्ग के पदों हेतु आवेदित उम्मीदवार को दिनांक 08.05.2010 तक और लिपिकीय संवर्ग के पद के उम्मीदवार को दिनांक 15.05.2010 तक यदि बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को अपने नाम एवं पता के साथ प्रत्येक पद के आवेदन पत्र की छाया प्रति के साथ डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंक भुगतान आदेश/मल्टी सिटी चेक का विवरण सहित

निम्नलिखित पते पर डुप्लीकेट बुलावा पत्र प्राप्त हेतु संपर्क करें। डुप्लीकेट बुलावा पत्र अधिकारी संवर्ग के उम्मीदवारों को दिनांक 10.05.2010 एवं लिपिकीय संवर्ग के उम्मीदवारों को दिनांक 17.05.2010 को निम्न पते पर उपलब्ध कराया जाएगा :–

सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय, 39/05, जागृति विहार
मेरठ (उत्तर प्रदेश)
टेलीफोन नं. 0121–2767793, 2767796, 2767518, फैक्स –0121–4007290,

निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले सर्व य.पी. ग्रामीण बैंक के सेवायुक्त (employees) भी उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के पात्र है।

स्थान : मेरठ

दिनांक : 15.02.2010

अध्यक्ष

नोट : 1. किसी भी प्रकार की मुद्रण /अनुवाद में त्रुटि होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी भाषा विवाद/अनुवाद आदि की व्याख्या हेतु इस विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण जो, Employment News में भी प्रकाशित है, अधिकृत माना जा सकेगा।

2. पूर्ण विवरण बैंक की website: www.upgb.com पर भी उपलब्ध है ।